शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक / राशिके / आरटीई / 2576

भोपाल, दिनांक 27-4-19

प्रति,

1.समस्त जिला कलेक्टर,मध्यप्रदेश
2.समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश
3.समस्त जिला परियोजना समन्वयक,मध्यप्रदेश

आरटीई निःशुल्क प्रवेश
सत्र 2019—20 निर्देश कंमाक—3

विषयः— सत्र 2019—20 के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन प्रवेश प्रकिया की समय सारणी।

सन्दर्भः— 1—म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क एफ 44—05 / 2019 / 20—2 दिनांक 11.04.2019
2—राज्य शिक्षा केन्द्र का पत्र कंमाक राशिके / आरटीई / 209 / 2019—20 / 2340

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश की प्रकिया को पारदर्शी और आसान बनाने के उद्वेश्य से प्रवेश की प्रकिया को ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन आवेदन के पश्चात सत्यापन तथा सत्यापन उपरांत पात्र पाये गये बच्चों में से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल आवंटन किया जाना है।

शैक्षणिक सत्र 2019—20 की प्रवेश प्रकिया की गतिविधियों की समय सारणी निम्नानुसार रहेगी।

कं.	गतिविधि	समय—सीमा
1	पालको द्वारा ऑनलाइन आवेदन	30 अप्रेल 2019 से 29 मई 2019
2	पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन की पावती एवं सत्यापन प्रपत्र डाउनलोड करना	30 अप्रेल 2019 से 29 मई 2019
3	आवेदको द्वारा निकटस्थ जन शिक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर सत्यापन कराना	30 अप्रेल से 30 मई
4	त्रुटि सुधार विकल्प की उपलब्धता (सत्यापन पश्चात त्रुटि सुधार नही होगा)	दिनांक 30 अप्रेल से 29 मई 2019 तक
5	सत्यापनकर्ता अधिकारियों से सत्यापन प्रपत्र प्राप्त कर बीआरसी द्वारा पोर्टल पर प्रविष्टि करना।	01 मई से 05 जून 2019 तक
6	पोर्टल पर पात्र दर्ज हुये बच्चों में से रेण्डम पद्वति से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा सीटों का आवंटन एवं चयनित आवेदको को एसएमएस द्वारा सूचना।	दिनांक 12 जून 2019
7	आवेदको द्वारा पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड करना।	दिनांक 12 जून से 20 जून 2019 तक
8	अशासकीय स्कूल के आवंटन पश्चात अशासकीय शालाओं में प्रवेश	दिनांक 13 जून से 25 जून 2019 तक
9	पात्र पाये गये बच्चों का स्कूलों में प्रवेश एवं प्रायवेट स्कूल द्वारा प्रवेशित बच्चों की पोर्टल पर रिपोर्टिंग दर्ज करना तथा प्रवेशित बच्चे का आधार सत्यापन	दिनांक 13 जून से 30 जून 2019 तक

कृपया उक्त निर्धारित गतिविधि केलेण्डर अनुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चत की जाए। सत्र 2019—20 के लिये शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन प्रवेश प्रकिया के संबंध में शेष निर्देश पूर्ववत रहेंगे।

(आईरीन सिंथिया जे.पी.)
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र

क्रंमाक / राशिके / आरटीई / 2019 / 2577 भोपाल दिनांक 27-4-19

प्रतिलिपिः—

1. निज सचिव माननीय मंत्री मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग म0प्र0।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग म0प्र0
3. आयुक्त जनसंपर्क विभाग म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल, म0प्र0
5. आयुक्त आदिवासी विभाग म0प्र0 भोपाल।
6. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, विघ्यांचल भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण म0प्र0 की ओर पालनार्थ।
8. संकुल प्रभारी समस्त जन शिक्षा केन्द्र / संकुल केन्द, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
9. विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र समन्व्यक, समस्त विकासखण्ड मध्यप्रदेश को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक संकुल अन्तर्गत आने वाले ग्रामों / वार्डो की सूची बीआरसी कार्यालय के सूचना पटल एवं संकुल प्राचार्य के सूचना पटल पर चस्पा करायें एवं संकुल प्रभारी से प्रतिदिन आवश्यक समन्वय सुनिश्चत करें।

संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र